The Speaker appealed to the Members to abide by the provisions of the Article 99 and Third Schedule to the Constitution of India regarding Oath of Affirmation by the Members of the House of the People

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्यगण, इस पवित्र सदन के सदस्य के रूप में शपथ तथा प्रतिज्ञान करने के उद्देश्य से हमारे संविधान में अनुच्छेद, आर्टिकल 99 एवं संविधान की तीसरी अनुसूची में प्रारूप निर्दिष्ट है, जिसके अनुसार शपथ लेना संसद सदस्यों का संवैधानिक दायित्व है ।

हमारे संविधान में शपथ अथवा प्रतिज्ञान की एक सुचिता है, मर्यादा है और गरिमा है । यदि संसद सदस्य अपनी शपथ या प्रतिज्ञान के आरंभ तथा अंत में अधिक शब्दों या वाक्यों की अभिव्यक्ति करते हैं, तो इससे हमारे संविधान की गरिमा और मर्यादा में कमी आती है । संसद सदस्य के रूप में यह हमारा दायित्व है । यह हम सभी के लिए है ।

हमारा दायित्व है कि हमारे किसी भी आचरण से इस गरिमा में कमी न हो । इसलिए, मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि हम संविधान की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार, संविधान की मूल भावनाओं के अनुसार शपथ अथवा प्रतिज्ञान करने का संकल्प लें ।

यह सदन संकल्प करता है कि प्रत्येक माननीय सदस्य संविधान की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार शपथ ले । इससे संबंधित विषयों पर गहन विचार, मंथन करते हुए एक संसदीय समिति का भी गठन किया जाएगा, जिसमें मुख्य दलों को शामिल किया जाएगा और यह अपेक्षा की जाएगी कि शपथ अथवा प्रतिज्ञान को हम संविधान की मर्यादाओं के अनुरूप करें तथा भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो ।

मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि इसका संकल्प लें और भविष्य में इस तरीके की पुनरावृत्ति न हो । यह हम सबके लिए, सदन के लिए चिंता का विषय है और गंभीर विषय है ।

———

? (व्यवधान)

11.07 hrs